



## **The Mahatma Gandhi Divyang University, Jodhpur Act, 2023**

Act No. 26 of 2023

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 15, बुधवार, शाके 1945-सितम्बर 06, 2023  
Bhadra 15, Wednesday, Saka 1945- September 06, 2023

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(गुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 5, 2023

संख्या प.2(41)विधि/2/2023.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 सितम्बर, 2023 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 26)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 सितम्बर, 2023 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2023 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विद्या परिषद्" से धारा 25 के अधीन यथागठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "सलाहकार परिषद्" से धारा 21 के अधीन गठित विश्वविद्यालय सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) "बोर्ड" से धारा 23 के अधीन गठित विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "नियंत्रक" से धारा 16 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "संकाय" से विश्वविद्यालय का कोई संकाय अभिप्रेत है;

(च) "वित्त समिति" से धारा 29 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(छ) "विहित" से परिणियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "प्रति-कुलपति" से धारा 14 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का प्रति-कुलपति अभिप्रेत है;

(झ) "कुल-सचिव" से धारा 15 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुल-सचिव अभिप्रेत है;

- (ज) "परिनियम", "आर्डिनेन्स" और "विनियम" से धारा 44, 46 और 48 के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ट) "विश्वविद्यालय का छात्र" से ऐसा व्यक्ति, जो सम्यक् रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित हो, अभिप्रेत है;
- (ठ) "अध्यापक" से शिक्षा देने या अनुसंधान संचालित करने और उसमें मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे परिनियमों द्वारा अध्यापक होना घोषित किया जाये;
- (ड) "विश्वविद्यालय" से धारा 3 के अधीन निगमित महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर अभिप्रेत है; और
- (ढ) "विश्वविद्यालय विभाग" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला कोई विभाग अभिप्रेत है।

**3. विश्वविद्यालय का निगमन.-** (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, "महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर" के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अंतरित या व्ययनित करने, और संविदा करने तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगा:

परन्तु ऐसी सम्पत्ति का ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय, अंतरण या व्ययन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय जोधपुर में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन, कुल-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं कुल-सचिव को जारी और उस पर तामील की जायेंगी।

**4. अधिकारिता.-** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी विश्वविद्यालय की अधिकारिता का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा और अन्य विश्वविद्यालयों के घटक महाविद्यालयों के सिवाय, पुनर्वास के समस्त महाविद्यालय/संस्थाएं इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के अनुसरण में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर से संबद्ध होंगे।

(2) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा,-

(क) विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर-भीतर स्थित किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय से, ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से अपनी संबद्धता या दिये गये विशेषाधिकार समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी, या

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय से सम्बद्ध किया जाना या विशेषाधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम द्वारा गठित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, अपवर्जित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित किसी भी सरकारी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय होना प्रगणित कर सकेगी। ऐसे महाविद्यालय की समस्त जंगम और स्थावर संपत्तियां तब विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगी और ऐसे महाविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी, स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाये जाने पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें, की पूर्ति करने पर, विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक या, यथास्थिति, कर्मचारी समझे जायेंगे।

**5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.-** विश्वविद्यालय, अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए स्थापित और निगमित किया हुआ समझा जायेगा-

- (क) पुनर्वास के क्षेत्र में विश्वविद्यालय को शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित करना;
- (ख) पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध करवाकर ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना;
- (ग) उत्कृष्टता के साथ वृत्तिक तैयार करना;
- (घ) पारंपरिक शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से संदर्भित दिव्यांगता, पुनर्वास अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी, समुदाय आधारित पुनर्वासों, पुनर्वास मनोविज्ञान, वाक् चिकित्सा, पुनर्वास चिकित्सा, व्यावसायिक परामर्श और पुनर्वास, योग और पंचकर्म चिकित्सा, समाज शास्त्र/सामाजिक कार्य/प्रबंधन इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पुनर्वास पाठ्यक्रमों सहित, उभरते हुए क्षेत्रों में अध्ययन, अनुसंधान और विस्तार कार्य को सुकर बनाना और बढ़ावा देना;
- (ङ) नियमित और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सामान्य शिक्षा को सम्मिलित करते हुए, दिव्यांगता और उससे संबंधित विषयों पर अधिगम तथा ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार करना;
- (च) छात्रों और शोध विद्यार्थियों में विशेष शिक्षा, व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के संबंध में कौशल विकसित करके दिव्यांगता के क्षेत्र में समाज की सेवा करने के लिए उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना;
- (छ) शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें अन्य छात्रों के साथ-साथ एक सुगम वातावरण में उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाना;
- (ज) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां तथा अन्य शैक्षणिक उपाधियां प्रदान करना; और
- (झ) ऐसी समस्त बातें, जो विश्वविद्यालय के समस्त या उनमें से किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक, आवश्यक या अनुकूल हों, करना।

**6. विश्वविद्यालय में प्रवेश.-** (1) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समस्त व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय से-

- (क) किसी भी पाठ्यक्रम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विहित शैक्षणिक अर्हता या स्तरमान नहीं रखता है, प्रवेश दिया जाना; या
- (ख) विश्वविद्यालय की नामावलियों पर ऐसे किसी छात्र को, जिसका शैक्षणिक अभिलेख कोई डिग्री, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि प्रदान किये जाने के लिए न्यूनतम मानक स्तरमान से कम हो, रखे रखना; या
- (ग) ऐसे किसी व्यक्ति या किसी छात्र को, जिसका आचरण विश्वविद्यालय के हितों या अनुशासन के या अन्य छात्रों और कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रतिकूल हो, प्रवेश देना या रखे रखना; या
- (घ) किसी भी पाठ्यक्रम में, विहित से अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश दिया जाना, अपेक्षित नहीं होगा।

(3) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों और छात्राओं के लिए प्रवेश में स्थानों का आरक्षण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार या राज्य सरकार की नीति के अनुसार किया जायेगा।

**7. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.-** विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

- (i) अनुसंधान, शिक्षा और शिक्षण के लिए विश्वविद्यालय और ऐसे केन्द्रों, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं, का प्रशासन और प्रबंधन करना;
- (ii) राज्य के ऐसे महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों को, जो ज्ञान की परंपरागत शाखाओं के अतिरिक्त भारतीय पुनर्वास परिषद् के मानकों के अनुसार विशेष शिक्षा, जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, प्रदान करते हैं, को संबद्ध करना, परीक्षाएं आयोजित कराना और डिग्रियां प्रदान करना तथा डिप्लोमे या प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां ऐसी शर्तों पर देना जैसाकि विश्वविद्यालय अवधारित करे। संबद्धता उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन के अध्यक्षीन रहते हुए प्रत्याहृत की जा सकती है;
- (iii) दिव्यांगता से संबंधित अधिगम के ज्ञान की ऐसी शाखाओं में शिक्षण के उपबंध करना जैसाकि विश्वविद्यालय उचित समझे, और अनुसंधान के लिए तथा दिव्यांगता के सम्बन्ध में ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए उपबंध करना;
- (iv) दिव्यांगता और सामाजिक विकास के समस्त पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित करना और जिम्मा लेना;
- (v) किसी डिग्री या किसी डिप्लोमा के लिए पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय में छात्रों की अर्हताएं विहित करना और प्रवेश को विनियमित करना;
- (vi) बाह्य अध्यापन और विस्तार सेवाएं आयोजित करना और उनका जिम्मा लेना;
- (vii) ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षाएं आयोजित कराना और व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र देना, और उपाधि तथा अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना और ठोस और पर्याप्त कारण से किन्हीं ऐसे डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों, डिग्री या अन्य विद्या संबंधी उपाधियों को वापस लेना;
- (viii) मानक डिग्री या अन्य उपाधियां ऐसी रीति से, जैसी कि विहित की जाये, प्रदान करना;

- (ix) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, मांग करना और प्राप्त करना;
- (x) हॉल और छात्रावासों की स्थापना करना तथा उनका संधारण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास-स्थानों को मान्यता प्रदान करना और ऐसे किसी निवास-स्थान को अनुदत्त की गयी मान्यता को वापस लेना;
- (xi) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास-स्थान का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना तथा उनके अनुशासन का विनियमन करना और उनके स्वास्थ्य की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;
- (xii) छात्रों के निवास-स्थान, अनुशासन और अध्यापन के संबंध में व्यवस्था करना;
- (xiii) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों को सृजित करना;
- (xiv) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन को विनियमित करना और पालन कराना तथा ऐसे अनुशासनात्मक अध्युपाय करना, जो आवश्यक समझे जायें;
- (xv) शिक्षण, अनुसंधान संस्थित करना और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य पदों पर तदनुसार नियुक्तियां करना;
- (xvi) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए और उन उद्देश्यों से संगत, जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, के लिए अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और दान प्राप्त करना तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों या निकायों से अनुदान प्राप्त करने के लिए कोई करार करना;
- (xvii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित तथा प्रदान करना;
- (xviii) अनुसंधान और अन्य संकर्मों के मुद्रण, प्रत्युत्पादन तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना और प्रदर्शनियां आयोजित करना;
- (xix) दिव्यांगता, सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मामलों में किसी अन्य संगठन के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिस पर सहमति हो, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, सहकार करना;
- (xx) विश्व के किसी भी भाग में उच्च अधिगम की संस्थाओं, जिनके उद्देश्य पूर्णतः या भागतः विश्वविद्यालय के समरूप हों, से शिक्षकों और विद्वानों के आदान-प्रदान द्वारा और सामान्यतया ऐसी रीति से, जो सामान्य उद्देश्यों के अनुकूल हो, सहकार करना;
- (xxi) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना और लेखाओं का प्रबंध करना;
- (xxii) विश्वविद्यालय परिसर के भीतर या अन्यत्र ऐसी कक्षाएं और अध्ययन हॉलों की स्थापना और रख-रखाव करना, जैसाकि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे और उनकी पर्याप्त रूप से साज-सज्जा करना तथा ऐसे पुस्तकालयों और वाचनालयों, जो विश्वविद्यालय के लिए सुविधाजनक या आवश्यक प्रतीत हों, की स्थापना और उनका रख-रखाव करना;
- (xxiii) कोई भूमि या भवन या संकर्म, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें ठीक और उचित समझा जाये, को क्रय करना, अर्जित करना, पट्टे पर लेना या दान के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना, और ऐसे किसी भवन या संकर्म का निर्माण करना, या परिवर्तन करना और रख-रखाव करना;

- (xxiv) विश्वविद्यालय के हितों और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निबंधनों पर जो ठीक और उचित समझे जायें, विश्वविद्यालय की समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्तियों, या उसके किसी भाग का विक्रय करना, विनिमय करना, पटटे पर देना या अन्यथा व्ययन करना:
- परन्तु जहां संपत्तियां राज्य या केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से सृजित की गयी हैं, वहां राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा;
- (xxv) भारत सरकार के और अन्य वचनपत्रों, विनिमय पत्रों, चेकों या अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित करना और स्वीकार करना, बढ़ा और परक्रामण करना और पृष्ठांकित करना;
- (xxvi) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों को सम्मिलित करते हुए जंगम या स्थावर संपत्ति के संबंध में हस्तांतरणों, अंतरण, प्रतिहस्तांतरणों, बंधकों, पट्टों, अनुज्ञप्तियों और करारों का निष्पादन करना;
- (xxvii) विश्वविद्यालय की किसी लिखत का निष्पादन या किसी कारबार का संव्यवहार करने के उद्देश्य से, किसी व्यक्ति को, जैसा वह उचित समझे, नियुक्त करना;
- (xxviii) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों के साथ कोई करार करना;
- (xxix) विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं सम्पत्तियों और आस्तियों पर वित्तपोषित या आधारित बंधपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर, या बिना किसी प्रतिभूतियों के और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसा वह उचित समझे, धन जुटाना या उधार लेना और धन जुटाने के लिए आनुषंगिक समस्त व्ययों का विश्वविद्यालय की निधियों में से संदाय करना और उधार लिये गये किसी धन का प्रतिसंदाय और मोचन करना;
- (xxx) विश्वविद्यालय की निधि या विश्वविद्यालय को न्यस्त की गयी निधि का ऐसी प्रतिभूतियों में या पर ऐसी रीति से, जैसा वह ठीक समझे, विनिधान करना और किसी भी विनिधान को समय-समय पर बदलना;
- (xxxii) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अन्वय में जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाये, जो वह उचित समझे, पेंशन, बीमा, भविष्यनिधि और उपदान गठित करना और ऐसे अनुदान देना जो विश्वविद्यालय के किन्हीं कर्मचारियों के फायदे के लिए वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृंद और छात्रों के फायदे के लिए संगमों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और हस्तांतरण की स्थापना और समर्थन में सहायता करना;
- (xxxiii) ऐसे अन्य समस्त कार्य और बातें करना, जैसाकि विश्वविद्यालय अपने समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे।

**8. कुलाधिपति.-** (1) राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और उपस्थित होने पर, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां उन्हें प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को प्रदान करेगा।

(3) कुलाधिपति स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, किसी भी कार्यवाही के संबंध में, ऐसी कार्यवाही की नियमितता या उसमें किये गये किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी का अभिलेख मंगवा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा; और यदि किसी भी मामले में कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे विनिश्चय या आदेश को उपांतरित, बातिल किया जाना, उलटा जाना, या पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुलाधिपति को प्रत्येक आवेदन उस तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर किया जायेगा जिसको वह कार्यवाही, विनिश्चय या आदेश, जिससे कि आवेदन संबंधित है, आवेदक को संसूचित किया गया था:

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त या समनुदेशित किये जायें।

### 9. निरीक्षण.- (1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे-

- (क) विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या
- (ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्थान, संस्था या छात्रावास का; या
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये जा रहे अध्यापन और अन्य कार्य का; या
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का, निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।



(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा और उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा।

(5) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत समय सीमा के भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय नियत समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करता है या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय, उप-धारा (6) के अनुसार जारी किये गये ऐसे निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत किया जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को ऐसे निदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए स्वविवेक से किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसे आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हो।

**10. विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी.-** विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

**(क) विश्वविद्यालय के अधिकारी-**

- (i) कुलपति;
- (ii) प्रतिकुलपति;
- (iii) कुल-सचिव;
- (iv) नियंत्रक;
- (v) संपदा अधिकारी;
- (vi) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;
- (vii) संकायों के संकायाध्यक्ष; और
- (viii) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें परिणियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जाये।

**(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी-**

- (i) सलाहकार परिषद्;
- (ii) प्रबंध बोर्ड;
- (iii) विद्या परिषद्;
- (iv) संकाय;
- (v) अध्ययन बोर्ड;
- (vi) वित्त समिति; और

(vii) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

**11. कुलपति.-** (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक, प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।

(3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

- (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;
- (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;
- (ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और
- (घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्च शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।

(5) खोजबीन समिति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी।

(6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए खोजबीन समिति, लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्च शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ संलग्न करेगी।

(7) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(9) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(10) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत

कुलाधिपति को करेगा, जो राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के, राज्य-विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा, निर्वहन के लिए व्यवस्था करायेगा।

(11) कुलपति किसी भी समय, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, पद का त्याग कर सकेगा।

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जायेगी।

(13) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(15) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्णवैतनिक छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

(17) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति, कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो कुलाधिपति अवधारित करे, नियुक्त किया जायेगा।

(18) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक, प्रशासनिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा। उसे ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के सही-सही अनुपालन के लिए आवश्यक हों।

(19) कुलपति को, जहां तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो, ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जिससे ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन हो जिसका प्रयोग या पालन किसी भी प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किया जाये:

परन्तु ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए की जायेगी जो उस विषय पर सामान्य अनुक्रम में कार्यवाही करता:

परन्तु यह और कि यदि वह कार्रवाई, जिसकी कि इस प्रकार रिपोर्ट की गयी है, बोर्ड से इतर ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है तो वह विषय बोर्ड को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और बोर्ड के ही ऐसा प्राधिकारी होने की दशा में वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(20) कुलपति, यह समाधान हो जाने पर कि किसी प्राधिकारी द्वारा की गयी कोई कार्रवाई या आदेश विश्वविद्यालय के हित में नहीं है या ऐसे प्राधिकारी की शक्तियों के परे है, प्राधिकारी से उसकी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि प्राधिकारी उस तारीख से, जिसको कि कुलपति ने

ऐसी अपेक्षा की है, साठ दिवस के भीतर-भीतर अपनी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने से इन्कार कर देता है या इसमें विफल रहता है तो वह विषय अंतिम विनिश्चय के लिए बोर्ड या, यथास्थिति, कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा।

**12. कुलपति का हटाया जाना.-** (1) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इन्कार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलम्बित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लम्बित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

**13. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.-** (1) कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय से संबंधित मामले बोर्ड को उसके विचार-विमर्श और विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। उसे बोर्ड और विद्या परिषद् और ऐसे अन्य प्राधिकारियों और निकायों, जैसेकि विहित किये जायें, की बैठकें बुलाने की शक्ति होगी।

(4) कुलपति का विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण होगा और वह विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कुलपति इस अधिनियम और परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा और उसे ऐसी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(6) किसी आपात में, जिसमें कुलपति की राय में तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित हो, कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट, शीघ्रतम अवसर पर, ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को करेगा जो उस मामले में सामान्य अनुक्रम में कार्रवाई करता।

(7) जहां कुलपति द्वारा उप-धारा (6) के अधीन की गयी किसी कार्रवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति पर उसके लिए अलाभकारी प्रभाव पड़ता है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी तारीख से, जिसको उसे की गयी कार्रवाई से संसूचित किया जाये, तीस दिवस के भीतर-भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(8) पूर्वोक्त के अध्यक्षीन रहते हुए, कुलपति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति संबंधी बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(9) कुलपति, अध्यापन, अनुसंधान और अन्य कार्य के निकट समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जायें।

**14. प्रतिकुलपति.-** विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति की नियुक्ति ऐसी रीति से, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

**15. कुल-सचिव.-** (1) कुल-सचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह सीधे ही कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल-सचिव राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में के अधिकारियों (चयनित वेतनमान से अनिम्न) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) कुल-सचिव बोर्ड, विद्या परिषद् और ऐसे किसी भी प्राधिकारी, जिसे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी होना घोषित किया जाये, का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(4) कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा जिन्हें बोर्ड उसके भारसाधन में सुपुर्द करे; और

(ख) बोर्ड, विद्या परिषद्, संकाय, अध्ययन बोर्ड और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की बैठक बुलाने के लिए समस्त नोटिस जारी करेगा।

(5) (i) जहां बोर्ड की कोई कार्यवाही या संकल्प, या कुलपति का कोई आदेश इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों से असंगत हो, वहां कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह सुसंगत उपबंधों का उल्लेख करते हुए बोर्ड या कुलपति को सलाह देगा और बोर्ड की बैठक की कार्यवाहियों में या कुलपति के आदेश पर इस तथ्य को अभिलिखित करेगा कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरांत ऐसी कार्यवाहियों, संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत करेगा, और ऐसा संकल्प या आदेश पारित होने या, यथास्थिति, ऐसी कार्यवाहियां चलाने के सात दिवस के भीतर-भीतर कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को मामले की संसूचना सुनिश्चित करेगा।

(ii) उप-खण्ड (i) के अधीन रिपोर्ट किये गये विसम्मति के टिप्पण के परीक्षण के पश्चात्, कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या स्थायी आदेश, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होगा:

परन्तु यदि विसम्मति के टिप्पण की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर ऐसा कोई अंतरिम या अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाये तो बोर्ड या, यथास्थिति, कुलपति, कार्यवाहियों या संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर ऐसे कार्यवाही कर सकेगा मानो कि विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(6) कुल-सचिव धारा 43 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) कुल-सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किये जायें या जिनकी कुलपति या बोर्ड द्वारा उससे समय-समय पर अपेक्षा की जाये।

**16. नियंत्रक.-** (1) नियंत्रक, विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त, लेखा और संपरीक्षा अधिकारी होगा। वह सीधे ही कुलपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(2) इस अधिनियम या, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नियंत्रक राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों (चयनित वेतनमान से अनिम्न) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) नियंत्रक वित्त समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(4) नियंत्रक-

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और विश्वविद्यालय को उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा;

(ख) न्यास और विन्यास सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों का वित्त समिति और बोर्ड के विनिश्चयों के अनुसार प्रबंध करेगा; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा समनुदेशित किये जायें या जो विहित किये जायें:

परन्तु नियंत्रक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, ऐसी रकम से अधिक, जो विहित की जाये, कोई व्यय उपगत या कोई भी विनिधान नहीं करेगा।

(5) बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, नियंत्रक-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय बोर्ड द्वारा नियत सीमाओं से अधिक न हो और समस्त धन उन प्रयोजनों के लिए व्यय किये जायें जिनके लिए वे मंजूर या आबंटित किये गये हैं;

(ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं, वित्तीय प्राक्कलनों और बजट को तैयार करने और उनको वित्त समिति और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) नकदी और बैंक अतिशेषों और विनिधानों पर बराबर नजर रखेगा;

(घ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण की लागू की गयी पद्धतियों पर सलाह देगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित समस्त कार्यालयों, प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और संस्थाओं में उपस्करों और अन्य खपने वाली सामग्री के सम्बन्ध में स्टॉक की जांच की जाती है;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा विनिधान से अन्यथा ऐसा कोई भी व्यय उपगत नहीं किया जाये जो बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया हो और किसी भी अनधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितता को कुलपति और कुल-सचिव के ध्यान में लायेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा;

- (छ) ऐसे किसी व्यय को नामंजूर करेगा जो किसी भी परिनियम के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो या जिसके लिए परिनियम द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है किन्तु नहीं किया गया है;
- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी कार्यालय, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से ऐसी सूचना या विवरणियां प्राप्त करेगा जिन्हें वह अपनी शक्तियों के प्रयोग, कृत्यों के पालन या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे; और
- (झ) धारा 35, 36 और 37 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

**17. सम्पदा अधिकारी और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष.-** (1) बोर्ड निम्नलिखित किसी भी एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा, अर्थात्:-

- (क) सम्पदा अधिकारी; और  
(ख) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष।

(2) सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय के समस्त भवनों, लॉनों, उद्यानों और अन्य स्थावर सम्पत्ति का भारसाधक होगा।

(3) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

- (क) छात्रों के आवासन की व्यवस्था करना;  
(ख) छात्रों को परामर्श देने के लिए कार्यक्रम निदिष्ट करना;  
(ग) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के नियोजन के लिए व्यवस्था करना;  
(घ) छात्रों के पाठ्येतर क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना;  
(ङ) विश्वविद्यालय के स्नातकों को नौकरी दिलाने में सहायता करना; और  
(च) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को संगठित करना और उनसे सम्पर्क बनाये रखना।

**18. संकायों के संकायाध्यक्ष और उनके कृत्य.-** (1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा।

- (2) कुलपति द्वारा संकायों के संकायाध्यक्ष ऐसी रीति से नियुक्त किये जायेंगे जो विहित की जाये।  
(3) संकायाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

**19. अन्य अधिकारी और कर्मचारी.-** धारा 10 के खण्ड (क) में उल्लिखित अन्य अधिकारियों की और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनके कृत्य ऐसे होंगे जो इस अधिनियम में उपबंधित किये जायें या परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

**20. अधिकारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक.-** विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को विश्वविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए, परिनियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह उसे स्वीकार करेगा।

**21. सलाहकार परिषद् का गठन और संरचना.-** (1) विश्वविद्यालय की एक सलाहकार परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- (i) कुलाधिपति द्वारा नियुक्त, विशेष योग्यजनों के कल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त कोई व्यक्ति, जो सलाहकार परिषद् का अध्यक्ष होगा;  
(ii) कुलपति;

- (iii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (iv) उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (v) चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (vi) आयुर्वेद विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (vii) कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर;
- (viii) कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा;
- (ix) मुख्य प्रशासक, भारतीय प्रबंध संस्थान, उदयपुर;
- (x) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स), जोधपुर;
- (xi) आयुक्त/निदेशक, विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर;
- (xii) राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, भारत सरकार का निदेशक या उसका नामनिर्देशिती;
- (xiii) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, भारत सरकार का निदेशक या उसका नामनिर्देशिती;
- (xiv) राष्ट्रीय वाक् और श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, भारत सरकार का निदेशक या उसका नामनिर्देशिती;
- (xv) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, भारत सरकार का निदेशक या उसका नामनिर्देशिती;
- (xvi) भारतीय पुनर्वास परिषद् का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती;
- (xvii) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले उच्च शिक्षा के क्षेत्र से पांच शिक्षाविद्;
- (xviii) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले चिकित्सा या पुनर्वास के क्षेत्र से विख्यात पांच व्यक्ति; और
- (xix) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

**स्पष्टीकरण.-** खण्ड (iii), (iv), (v) और (vi) के प्रयोजन के लिए, "प्रभारी सचिव" से उस विभाग का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(2) सलाहकार परिषद् की बैठक में एक तिहाई उपस्थित सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) सलाहकार परिषद् का अध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसाकि इस अधिनियम में उपबंधित है या जो विहित की जायें।

(4) सदस्य बिना किसी अतिरिक्त वेतन के सेवा करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भत्ते और यात्रा व्यय के हकदार होंगे जो विहित किये जायें।

(5) सलाहकार परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त सलाहकार परिषद् के सदस्य-सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा।



**22. सलाहकार परिषद् के कर्तव्य और कृत्य.-** सलाहकार परिषद् के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए अध्युपाय सुझाना;

(ख) विश्वविद्यालय को उसके उद्देश्यों की बाबत मार्गदर्शन प्रदान करने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में कुलपति को सलाह देना; और

(ग) ऐसे अन्य कर्तव्य या कृत्य जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

**23. प्रबंध बोर्ड का गठन और संरचना.-** (1) बोर्ड विश्वविद्यालय का उच्चतम कार्यपालक निकाय होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(I) विश्वविद्यालय का कुलपति - अध्यक्ष;

(II) पदेन सदस्य-

- (i) वित्त विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिनी जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (ii) सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिनी जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (iii) उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिनी जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (iv) श्रम और कौशल विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिनी जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (v) चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिनी जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (vi) स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिनी जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (vii) आयुर्वेद विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिनी जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;
- (viii) आयुक्त/निदेशक, विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार;
- (ix) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर;
- (x) आयुक्त/निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार;
- (xi) कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर;
- (xii) प्रतिकुलपति; और
- (xiii) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

**स्पष्टीकरण.-** खण्ड (i) से (vii) के प्रयोजन के लिए, "प्रभारी सचिव" से उस विभाग का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(III) नामनिर्देशित सदस्य-

- (i) कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों में से नामनिर्देशित दो व्यक्ति;
  - (ii) कुलाधिपति द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय आचार्य;
  - (iii) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्;
  - (iv) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, राज्य विधान-मण्डल के दो सदस्य; और
  - (v) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्।
- (2) बोर्ड की बैठक में उपस्थित एक तिहाई सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।
- (3) बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम में उपबंधित हैं या जो विहित की जायें।
- (4) सदस्य किसी भी अतिरिक्त वेतन के बिना सेवा करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भत्ते और यात्रा व्यय के हकदार होंगे जो विहित किये जायें।
- (5) बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा।

**24. बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य.-** बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

- (क) विश्वविद्यालय के बजट को अनुमोदित और मंजूर करना;
- (ख) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों को अर्जित करना, व्ययनित करना, धारित करना और नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी साधारण या विशेष निदेश जारी करना;
- (ग) विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति के अन्तरण को स्वीकार करना;
- (घ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधीन रखी गयी किन्हीं भी निधियों का प्रबंध करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय के धन का विनिधान करना;
- (च) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक और अन्य स्टाफ के सदस्यों को ऐसी रीति से नियुक्त करना, जो विहित की जाये;
- (छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के प्ररूप और उपयोग का निदेश देना;
- (ज) स्थायी या अस्थायी ऐसी समितियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह अपने उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे;
- (झ) पूंजीगत सुधारों के लिए धन उधार लेना और उसके प्रतिसंदाय के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना;
- (ञ) ऐसे समय पर और इतनी बार बैठकें करना जितनी वह आवश्यक समझे, परन्तु बोर्ड की नियमित बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी;
- (ट) विश्वविद्यालय के सुचारु कार्यकरण के लिए इस अधिनियम में विहित रीति से परिणियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों को बनाना; और
- (ठ) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों को इस अधिनियम और परिणियमों के अनुसार विनियमित और अवधारित करना और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम और परिणियमों द्वारा बोर्ड को प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें।

**25. विद्या परिषद्.-** (1) विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- (क) कुलपति - पदेन अध्यक्ष;
- (ख) प्रति कुलपति;
- (ग) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला प्रत्येक संकाय से एक आचार्य;
- (ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिनी जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो;
- (च) उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिनी जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो;
- (छ) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;
- (ज) पुनर्वास अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हों, जिनमें से एक कुलाधिपति द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा; और
- (झ) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

**स्पष्टीकरण.-** खण्ड (ङ) और (च) के प्रयोजन के लिए, "प्रभारी सचिव" से उस विभाग का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित हैं।

(2) नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

**26. विद्या परिषद् के कृत्य.-** (1) इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनेन्सों, और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् शैक्षणिक मामलों का नियंत्रण तथा साधारण विनियमन रखेगी और विश्वविद्यालय के अनुदेशों और परीक्षाओं के स्तरमानों को बनाए रखने के लिए और डिग्रियाँ तथा डिप्लोमे प्रदान करने की अपेक्षाओं के लिए उत्तरदायी होगी। विद्या परिषद्-

- (i) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर नियंत्रण करेगी और विश्वविद्यालय में अनुदेश, शिक्षा और मूल्यांकन के स्तरमानों को बनाये रखने और सुधार के लिए उत्तरदायी होगी;
- (ii) स्वयं की पहल से या विश्वविद्यालय के संकाय या बोर्ड के निर्देश पर साधारण शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करेगी और उस पर समुचित कार्रवाई करेगी; और
- (iii) छात्रों के अनुशासन को सम्मिलित करते हुए, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कृत्यकरण से सम्बन्धित ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम से संगत हो, की बोर्ड को सिफारिश करेगी।

(2) विद्या परिषद्, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा बोर्ड को प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें और सभी शैक्षणिक मामलों पर कुलपति को सलाह देगी।

**27. संकायों की संरचना और कृत्य.-** (1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) प्रत्येक संकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:-

- (क) संकाय का संकायाध्यक्ष - अध्यक्ष;
- (ख) संकाय को समनुदेशित विषयों के विश्वविद्यालय आचार्य;

(ग) संकाय में अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष; और

(घ) विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्देशित दो बाह्य विशेषज्ञ।

(3) संकाय ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

**28. अध्ययन बोर्ड.-** (1) अध्ययन बोर्ड इतने होंगे जितने परिनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) अध्ययन बोर्ड ऐसी रीति से गठित किया जायेगा, ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।

**29. वित्त समिति.-** (1) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगी, अर्थात्:-

(क) कुलपति, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) वित्त विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिनी जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;

(ग) सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिनी जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;

(घ) चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिनी जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो;

(ङ) प्रति कुलपति;

(च) बोर्ड द्वारा इसके अशासकीय सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाने वाला बोर्ड का एक सदस्य;

(छ) बोर्ड द्वारा चक्रानुक्रम में नामनिर्देशित किये जाने वाले दो आचार्य; और

(ज) नियंत्रक, जो समिति का सदस्य-सचिव होगा।

**स्पष्टीकरण.-** खण्ड (ख), (ग) और (घ) के प्रयोजन के लिए, "प्रभारी सचिव" से उस विभाग का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(2) खण्ड (च) और (छ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

**30. वित्त समिति के कृत्य.-** इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन, वित्त समिति मुख्यतः निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

(i) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और वार्षिक बजट प्राक्कलनों का परीक्षण करना और उन पर बोर्ड को सलाह देना;

(ii) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना;

(iii) विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित समस्त नीतिगत विषयों पर बोर्ड को सिफारिशें करना;

(iv) निधियों के सृजन, प्राप्तियों और व्ययों को अन्तर्वलित करने वाले समस्त प्रस्तावों पर बोर्ड को सिफारिशें करना;

(v) अधिशेष निधियों के विनिधान के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;

(vi) ऐसे समस्त प्रस्तावों पर, जिनमें ऐसा व्यय अंतर्वलित हो, जिसके लिए बजट में कोई उपबंध नहीं किया गया हो या जिनके लिए बजट में उपबंधित रकम से अधिक व्यय उपगत किये जाने की आवश्यकता हो, बोर्ड को सिफारिशें करना;

- (vii) वेतनमानों के पुनरीक्षण, वेतनमानों के उन्नयन और उन मर्दों, जो बोर्ड के समक्ष रखे जाने के पूर्व बजट में सम्मिलित न की गयी हों, से संबंधित समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करना; और
- (viii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इसे विनियमों द्वारा प्रदत्त की जायें या इस पर अधिरोपित किये जायें।

**31. विश्वविद्यालय का अध्यापन.-** (1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त अध्यापन, विश्वविद्यालय विभागों में या उसके संस्थानों और संस्थाओं में संचालित किये जायेंगे।

(2) ऐसे अध्यापन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

(3) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम ऐसे होंगे जो आर्डिनेन्सों द्वारा और तदधीन रहते हुए, विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

**32. विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी.-** (1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(2) परिनियमों द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये जायेंगे। संविदा कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित अध्यापक या अधिकारी को दी जायेगी। सेवा की शर्तों के संबंध में संविदा इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त परिनियमों के उपबंधों से असंगत नहीं होगी।

**33. सेवानिवृत्ति की आयु.-** परिनियमों में किसी भी प्रतिकूल उपबंध के या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के किन्हीं भी निदेशों या नीति के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी सामान्यतः साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

**34. पेंशन या भविष्य निधि.-** (1) विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकवर्गीय स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, ऐसी पेंशन, उपदान, बीमा और भविष्य निधि का गठन करेगा जो वह उचित समझे।

(2) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19) के उपबंध किसी निधि या बीमा स्कीम पर इस प्रकार लागू होंगे मानों कि वह राज्य सरकार की निधि या स्कीम हो और विश्वविद्यालय ऐसी निधि या स्कीम में अंशदान या विनिधान करेगा।

(3) परिनियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया जायेगा कि राज्य की सेवा में के नियोजन से स्थानान्तरित स्टाफ सदस्यों को ऐसे स्थानान्तरण पर संरक्षित उनके प्रोद्भूत सेवा फायदे मिलें।

**35. विश्वविद्यालय निधि.-** (1) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय निधि के नाम से एक निधि स्थापित, संधारित करेगा और उसका प्रबंध करेगा।

(2) निम्नलिखित धनराशियां विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी, अर्थात्:-

(क) राज्य सरकार द्वारा कोई भी अंशदान या अनुदान;

(ख) विश्वविद्यालय को समस्त स्रोतों से उद्भूत होने वाली आय जिसमें फीस और प्रभारों से आय सम्मिलित है;

(ग) न्यास, वसीयत, संदान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हों; और

(घ) ऐसा अन्य धन जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।

(3) वे मामले, जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जा सकेगी, ऐसे होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी उपबंध के अधीन और उसके अनुसरण में उपगत समस्त व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय निधि से की जायेगी।

(5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय संपत्तियों की प्रतिभूति पर और राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेने की शक्ति होगी।

**36. लेखे और संपरीक्षा.-** (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों में विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगा।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखाओं और वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति की टिप्पणियों सहित, बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(4) लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जैसाकि राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखाओं को मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(6) विश्वविद्यालय संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।

**37. राज्य सरकार का नियंत्रण.-** जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात्:-

(क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;

(ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति-पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;

(ग) अपने किन्हीं भी अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को किसी अतिरिक्त/विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक जिसमें वित्तीय विवक्षा रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी;

(घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;

(ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;

(च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और

(छ) ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

**स्पष्टीकरण.-** पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित ऐसे पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे दीर्घकाल में राज्य सरकार पर वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना हो।

**38. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.-** (1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित किसी भी मामले में, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।

**39. सदस्यता संबंधी अनुपूरक उपबंध.-** (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां यथासंभव शीघ्र, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा उसी प्रकार भरी जायेंगी जिस प्रकार सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया था और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्देशित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का ऐसी अवशिष्ट कालावधि के लिए सदस्य रहेगा जितनी अवधि के लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, यदि स्थान रिक्त नहीं हुआ होता तो बना रहता।

(2) कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में कोई भी पद, विश्वविद्यालय का कोई भी अन्य पद धारण करने के आधार पर या अन्यथा धारण करता है, ऐसा पद तब तक, जब तक कि वह अन्य पद धारण करता है, धारण करेगा और तत्पश्चात् तब तक धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी सम्यक् रूप से नामनिर्देशित या, यथास्थिति नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

(3) बोर्ड ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी नहीं हो, किसी भी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से या विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या कर्मचारी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए या ध्वंसक गतिविधियों में भाग लेने के लिए या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय किसी कार्य या कार्यों में भाग लेने के आधार पर सिद्धदोष ठहराया गया है:

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति या कर्मचारी को इस उप-धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो कि उसे इस प्रकार क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए और ऐसे हेतुक पर विचार नहीं कर लिया गया हो:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

(4) यदि ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में, जो बोर्ड के अधीनस्थ विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है या इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन बोर्ड के किसी भी विनिश्चय के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो

मामला कुलाधिपति को, उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

**40. विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों की कार्यवाहियों का किसी भी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होना.-** विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई कार्य, या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण या ऐसे किसी व्यक्ति के कार्यवाहियों में भाग लेने के कारण, जो तत्पश्चात् ऐसा करने का हकदार नहीं पाया जाता है, अविधिमान्य नहीं होगी।

**41. पदनाम में परिवर्तन की दशा में सरकारी अधिकारियों के प्रति निर्देश का अर्थ तत्समान अधिकारियों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाना.-** जहां इस अधिनियम के या परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों के किसी भी उपबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी का निर्देश पदनाम से हो वहां, यदि वह पदनाम परिवर्तित कर दिया जाता है या वह पद अस्तित्वहीन हो जाता है तो, उक्त निर्देश का अर्थ परिवर्तित पदनाम या, यथास्थिति, ऐसे तत्समान अधिकारी, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

**42. सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति.-** इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित किसी भी विषय पर विश्वविद्यालय से कोई भी सूचना मंगा सकेगी और विश्वविद्यालय, यदि ऐसी सूचना उसके पास उपलब्ध है तो ऐसी सूचना राज्य सरकार को युक्तियुक्त कालावधि के भीतर-भीतर देगा।

**43. वार्षिक रिपोर्ट.-** विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलपति के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी और बोर्ड के सदस्यों में बोर्ड की वार्षिक बैठक, जिसमें उस पर विचार किया जाना है, के एक मास पूर्व प्रचालित की जायेगी। बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान-मण्डल के सदन के पटल पर रखे जाने के लिए राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

**44. परिनियम.-** इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, परिनियमों में किसी भी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जायेगा:-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;
- (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति या नामनिर्देशन और उनके पद पर बने रहने और इन प्राधिकारियों से संबंधित ऐसे समस्त अन्य मामले, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;
- (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य और सेवा शर्तें;
- (घ) अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा शर्तें और अर्हताएं;
- (ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन, उपदान, बीमा और भविष्य निधियों का गठन;
- (च) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;
- (छ) विभागों की स्थापना, समामेलन, उप-विभाजन और समाप्ति;
- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों की स्थापना और उनकी समाप्ति;
- (झ) ऐसी धनराशियां जो विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी और ऐसे मामले जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जा सकेगी;



- (ज) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या और उनकी परिलब्धियां, और उनकी सेवाओं और क्रियाकलापों का अभिलेख तैयार करना और संधारित करना;
- (ट) विश्वविद्यालय के कार्य में नियोजित व्यक्तियों को संदत्त किये जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते, जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ते सम्मिलित हैं; और
- (ठ) ऐसे अन्य समस्त मामले जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किये जाने की अपेक्षा की गयी है या उपबंध किया जा सकेगा, या जो आर्डिनेन्सों और विनियमों से अन्यथा विहित किये जा सकेंगे।

**45. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे.-** (1) परिनियम बोर्ड द्वारा, इसमें आगे उपबंधित रीति से बनाये, संशोधित या निरसित किये जा सकेंगे।

(2) बोर्ड, किसी परिनियम के प्रारूप पर या तो स्वप्रेरणा से या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर, विचार कर सकेगा।

(3) बोर्ड, यदि वह आवश्यक समझे, किसी प्रारूप परिनियम के बारे में, जो उसके समक्ष विचार के लिए है, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय की राय भी अभिप्राप्त कर सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा पारित किया गया प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या उसे रोक सकेगा या उसे पुनर्विचार के लिए बोर्ड के पास वापस भेज सकेगा।

(5) बोर्ड द्वारा पारित किया गया कोई भी परिनियम तब तक विधिमान्य या प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति द्वारा उस पर अनुमति न दे दी जाये।

(6) पूर्वगामी उप-धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार की सलाह पर, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के बारे में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि बोर्ड ऐसे किसी निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिवस के भीतर-भीतर क्रियान्वित करने में विफल रहता है तो कुलाधिपति, बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का पालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, परिनियम बना सकेगा या उन्हें समुचित रूप से संशोधित कर सकेगा।

**46. आर्डिनेन्स.-** इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (क) पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश या नामांकन, किसी भी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अध्येतावृत्ति के लिए अपेक्षित फीस, अर्हताएं या शर्तें;
- (ख) परीक्षाओं की नियुक्ति और उनके निबंधनों और शर्तों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले या संधारित किसी छात्रावास या अन्य निवास-स्थान में निवास करने के लिए शर्तें, उनके लिए प्रभारों का उद्ग्रहण और अन्य संबंधित मामले;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा न चलाये जाने या संधारित किये जाने वाले छात्रावासों को मान्यता और उनका पर्यवेक्षण; और
- (ङ) विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों के द्वारा या अधीन विचार किये जाने के लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अपेक्षित ऐसा कोई भी अन्य मामला।

**47. आर्डिनेन्स कैसे बनाये जायेंगे.-** (1) बोर्ड, इसमें इसके आगे उपबंधित रीति से आर्डिनेन्स बना सकेगा, संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(2) बोर्ड द्वारा शैक्षणिक मामलों से संबंधित कोई भी आर्डिनेन्स तब तक नहीं बनाये जायेंगे जब तक कि उनका कोई प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(3) बोर्ड को उप-धारा (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप का संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे, भागतः या पूर्णतः, नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किन्हीं भी संशोधनों के साथ, जिनका बोर्ड सुझाव दे, पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को लौटा सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निदिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक आर्डिनेन्स दो सप्ताह के भीतर-भीतर, कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा। कुलाधिपति को आर्डिनेन्स की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर-भीतर, उसके प्रवर्तन को निलंबित करने का बोर्ड को निदेश देने की शक्ति होगी और वह, यथासंभव शीघ्र, उस पर अपने आक्षेप के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा। वह, बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात्, या तो आर्डिनेन्स को निलंबित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा या आर्डिनेन्स को अननुज्ञात कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

**48. विनियम.-** (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम और परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा-

(क) अपनी बैठकों में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ख) ऐसे समस्त मामलों के लिए उपबंध करना जिनके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा, उस प्राधिकारी के द्वारा विनियमों द्वारा उपबंध किये जाने हैं; और

(ग) ऐसे किसी भी अन्य मामले के लिए उपबंध करना जो केवल ऐसे प्राधिकारी से संबंधित हो और जिसके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंध नहीं किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को, बैठकों की तारीखों का और उन बैठकों में किये जाने वाले कार्यों का नोटिस देने के लिए और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए उपबंध करते हुए विनियम बनायेगा।

(3) बोर्ड, इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये किन्हीं भी विनियमों में, ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने के लिए या उनके बातिलकरण के लिए निदेश दे सकेगा।

**49. शक्तियों का प्रत्यायोजन.-** बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से कोई भी शक्ति किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, प्रयोग की जाने के लिए परिनियमों द्वारा, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

**50. अस्थायी व्यवस्थाएं.-** (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी समय और ऐसे समय तक, जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का सम्यक् रूप से गठन नहीं हो जाता, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को ऐसे किसी भी प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) कुलपति अस्थायी नियुक्तियां, ऐसी नियुक्तियां करने के पश्चात् होने वाली बोर्ड की आगामी बैठक में बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, कर सकेगा।

**51. अवशिष्ट उपबंध.-** बोर्ड को ऐसे किसी भी मामले पर कार्यवाही करने का प्राधिकार होगा जो विश्वविद्यालय से संबंधित हो और जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है। ऐसे समस्त मामलों पर बोर्ड का विनिश्चय, कुलाधिपति द्वारा पुनरीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, अंतिम होगा और वह किसी भी न्यायालय या अधिकरण में आक्षेपणीय नहीं होगा।

**52. कठिनाइयों का निराकरण.-** (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र और मामलों में किन्हीं भी कठिनाइयों के निराकरण के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा,-

- (क) निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसी कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के, जो चाहे उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, और जो इस अधिनियम से संगत हों, अध्यक्षीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे, प्रभावी होगा; या
- (ख) ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे ऐसी कठिनाइयों, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत हों, के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों; या
- (ग) ऐसी किन्हीं भी कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अस्थायी उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से बारह मास के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किये गये समस्त आदेश राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष चौदह दिवस की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं, या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे आदेशों में से किसी आदेश में कोई उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा आदेश केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) यदि इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं भी परिनियमों या आर्डिनेन्सों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस विषय में कि आया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है या सदस्य होने का हकदार है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जा सकेगा और यदि कुलपति और बोर्ड के कोई भी दस सदस्य ऐसी अपेक्षा करें तो निर्दिष्ट किया जायेगा। कुलाधिपति, राज्य सरकार से ऐसी सलाह लेने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

जान प्रकाश गुप्ता,  
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, September 5, 2023**

**No. F. 2(41)Vidhi/2/2023.-** In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan

Gazette of the following translation in the English language of the Mahatma Gandhi Divyang Vishwavidhyalay, Jodhpur Adhiniyam, 2023 (2023 Ka Adhiniyam Sankhyank 26):-

(Authorised English Translation)

**THE MAHATMA GANDHI DIVYANG UNIVERSITY, JODHPUR ACT, 2023**

(Act No. 26 of 2023)

(Received the assent of the Governor on the 2<sup>nd</sup> day of September, 2023)

*An*

*Act*

*to establish and incorporate Mahatma Gandhi Divyang University at Jodhpur in the State of Rajasthan and to provide for the matters connected therewith or incidental thereto.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Mahatma Gandhi Divyang University, Jodhpur Act, 2023.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

**2. Definitions.-** In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University as constituted under section 25;

(b) "Advisory Council" means the University Advisory Council constituted under section 21;

(c) "Board" means the Board of Management of the University constituted under section 23;

(d) "Comptroller" means the Finance officer of the University appointed under section 16;

(e) "Faculty" means a Faculty of the University;

(f) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University constituted under section 29;

(g) "prescribed" means prescribed by the Statutes, Ordinances or Regulations;

(h) "Pro-Vice-Chancellor" means the Pro-Vice-Chancellor of the University appointed under section 14;

(i) "Registrar" means the Registrar of the University appointed under section 15;

(j) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under sections 44, 46 and 48 respectively;

(k) "student of the University" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction duly instituted;

(l) "teacher" means a person appointed or recognized by the University for the purpose of imparting instruction or conducting and guiding research and includes a person who may be declared by the Statutes to be a teacher;

(m) "University" means the Mahatma Gandhi Divyang University, Jodhpur incorporated under section 3; and

(n) "University Department" means a Department maintained by the University.

**3. Incorporation of the University.-** (1) The Chancellor, the first Vice-Chancellor, the first members of the Board of Management and the Academic Council of the University and all persons who may hereafter become such officers or members so long as they continue to hold such office or membership shall constitute a body corporate by the name of "The

Mahatma Gandhi Divyang University Jodhpur" and shall have perpetual succession and a Common Seal and may, by that name, sue and be sued.

(2) The University shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer or dispose of any movable or immovable property, which may vest in or be acquired by it for the purposes of the University, and to contract and do all other things necessary for the purposes of this Act:

Provided that no such lease, sale, transfer or disposal of such property shall be made without the prior approval of the State Government.

(3) The headquarters of the University shall be at Jodhpur which shall be the headquarters of the Vice-Chancellor.

(4) In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar and all processes in such suits and proceedings shall be issued to and served on the Registrar.

**4. Jurisdiction.-** (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the jurisdiction of the University shall extend to whole of the State of Rajasthan and all Colleges/Institutions of Rehabilitation, except constituent colleges of other Universities, shall be affiliated to the Mahatma Gandhi Divyang University, Jodhpur in accordance with the Statutes, Ordinances and Regulations made under this Act.

(2) The State Government may, by order in writing-

- (a) require any institute, institution or college within the territorial limits of the University to terminate, with effect from such date as may be specified in the order, its association with, or its admission to the privileges of any other University incorporated by law to such extent as may be considered necessary and proper, or
- (b) exclude, to such extent as may be considered necessary and proper, from association with, or from admission to the privileges of the University constituted by this Act any institute, institution or college specified in the order which, in the opinion of the State Government, is required to be self governing or to be associated with or admitted to the privileges of, any other University or body.

(3) The State Government may, in consultation with the University, by notification published in the Official Gazette, enumerate any Government College situated in the jurisdiction of the University to be a constituent college of the University. All the movable and immovable properties of such college shall then vest in the University and the officers, teachers and employees of such college, after being found suitable through screening and on fulfilling such terms and conditions as may be laid down in the notification, shall be deemed to be the officers, teachers or, as the case may be, employees of the University.

**5. Objects of University.-** The University shall be deemed to have been established and incorporated for the purpose, among others, of-

- (a) to develop the University into a national centre of teaching, training and research in the field of Rehabilitation;
- (b) to disseminate and advance knowledge by providing instructional and research facilities in the field of Rehabilitation;
- (c) to develop professionals with excellence;
- (d) to facilitate and promote studies, research and extension work in the emerging areas including rehabilitation courses with focus on Benchmark Disabilities, rehabilitation engineering/technology, community based rehabilitations, rehabilitation psychology, speech therapy, rehabilitation therapy, vocational counseling and rehabilitation, Yoga and Panchakarma therapy,

sociology/social work/administration etc. through conventional teaching and distance education system;

- (e) to advance and disseminate learning and knowledge on disability and related issues, including general education by regular and distance mode of education;
- (f) to develop in the students and research scholars a sense of responsibility to serve society in the field of disability by developing skills in regard to special education, vocational and general education;
- (g) to empower physically challenged students and provide them higher education in an accessible environment alongwith other students;
- (h) to hold examinations and confer degrees and other academic distinctions; and
- (i) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.

**6. Admission to the University.-** (1) The University shall, subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations, be open to all persons.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall require the University-

- (a) to admit to any course of study any person who does not possess the prescribed academic qualification or standard; or
- (b) to retain on the rolls of the University any student whose academic record is below the minimum standard required for the award of a degree, diploma or other academic distinction; or
- (c) to admit any person or retain any student whose conduct is prejudicial to the interests or discipline of the University or the rights and privileges of other students and employees; or
- (d) to admit to any course of study students larger in number than those prescribed.

(3) Subject to the provisions of sub-section (2), reservation of seats in admission for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, More Backward Classes, Economically weaker section and women students shall be made in accordance with the provisions of any law for the time being in force or in accordance with the policy of the State Government.

**7. Powers and functions of the University.-** The University shall have the following powers and functions, namely:-

- (i) to administer and manage the University and such centers for research, education and instruction as are necessary for the furtherance of the objectives of the University;
- (ii) to affiliate such colleges' and other institutes of the State who, in addition to routine branches of knowledge provide special education as per norms of the rehabilitation Council of India, as the University may deem fit, hold examinations and to confer degrees and grant diplomas or certificates and other academic distinctions to such conditions as the University may determine. The affiliation can be withdrawn subject to violation of the above conditions;
- (iii) to provide for instruction in such branches of knowledge of learning pertaining to disability, as the University may deem fit and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge of disability;
- (iv) to sponsor and undertake research in all aspects of disability and social development;
- (v) to prescribe qualifications and to regulate the admission of students to the University for a course of study for a degree or a diploma;

- (vi) to organize and undertake extra mural teaching and extension services;
- (vii) to hold examinations and to grant diplomas or certificates, and to confer degrees and other academic distinctions on persons subject to such conditions as the University may determine and to withdraw any such diplomas, certificates, degree or other academic distinctions for good and sufficient cause;
- (viii) to confer honorary degree or other distinctions in such manner as may be prescribed;
- (ix) to fix, demand and receive fees and other charges;
- (x) to institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for the students of the University and to withdraw such recognition accorded to any such place of residence;
- (xi) to supervise and control the residence, and to regulate the discipline, of the students of the University and to make arrangements for promoting their health;
- (xii) to make arrangements in respect of the residence, discipline and teaching of students;
- (xiii) to create academic, technical, administrative, ministerial and other posts with the prior approval of the State Government;
- (xiv) to regulate and enforce discipline among the employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;
- (xv) to institute teaching, research and other posts required by the University and to make appointments thereto;
- (xvi) to receive grants, subventions, subscriptions, donations and gifts for the purpose of the University and consistent with the objects for which the University is established and to enter into any agreement with the Central Government, the State Government, the University Grants Commission or other authorities or bodies for receiving any grants;
- (xvii) to institute and award fellowships, scholarships, prizes and medals;
- (xviii) to provide for printing, reproduction and publication of research and other works and to organize exhibitions;
- (xix) to co-operate with any other organization in the matter of education, training and research in disability, social development and allied subjects for such purposes as may be agreed upon on such terms and conditions as the University may from time to time determine;
- (xx) to co-operate with institutions of higher learning in any part of the world having objects wholly or partially similar to those of the University, by exchange of teachers and scholars and generally in such manner as may be conducive to the common objects;
- (xxi) to regulate expenditure and to manage the accounts of the University;
- (xxii) to establish and maintain, within the premises of the University or elsewhere, such classrooms and study halls as the University may consider necessary and adequately furnish the same and to establish and maintain such libraries and reading rooms as they appear convenient or necessary for the University;
- (xxiii) to purchase, acquire, take on lease or accept as gift or otherwise, any land or building or works, which may be necessary or convenient for the purpose of the University, on such terms and conditions as it may think fit and proper, and to construct, or to alter and maintain any such building or works;

- (xxiv) to sell, exchange, lease otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms as it may deem fit and proper without prejudice to the interest and activities of the university:  
 Provided that where the properties have been created with the financial assistance of the State or the Central Government, prior approval of the State Government shall be necessary;
- (xxv) to draw and accept, to make and endorse to discount and negotiate, Government of India and other promissory notes, bills of the exchange, cheques or other negotiable instruments;
- (xxvi) to execute conveyances, transfer, reconveyances, mortgages, leases, licenses and agreements in respect of property, movable or immovable including government securities belonging to the University or to be acquired for the purpose of the University with prior approval of the State Government;
- (xxvii) to appoint in order to execute an instrument or transact any business of the University, any person as it may deem fit;
- (xxviii) to enter into any agreement with Central Government, State Government, the University Grants Commission or other authorities for receiving grants;
- (xxix) to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities, funded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities and upon such terms and conditions as it may deem fit and to pay, out of the funds of the University all expenses incidental to the raising of the money and to repay and redeem any money borrowed;
- (xxx) to invest the fund of the University or fund entrusted to the University in or upon such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment;
- (xxxi) to constitute for the benefit of the academic, technical, administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes, such as pension, insurance, provident fund and gratuity as it may deem fit and to make such grants as it may think fit for the benefit of any employees of the University and to aid in establishment and support of the associations, institutions, funds, trusts and conveyance calculated to benefit the staff and the students of the University; and
- (xxxii) to do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainments or enlargements of all or any of its objectives.

**8. Chancellor.-** (1) The Governor of the State of Rajasthan shall, by virtue of his office, be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University and shall, when present, preside at the convocations thereof and confer degrees, diplomas or other academic distinctions upon persons entitled to receive them.

(3) The Chancellor may on his own motion or on application call for and examine the record of any officer or authority of the University in respect of any proceeding to satisfy himself as to the regularity of such proceeding or the correctness, legality or propriety of any decision taken or order made therein; and if in any case, it appears to the Chancellor that any such decision or order should be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, he may pass orders accordingly:



Provided that every application to the Chancellor for the exercise of the powers under this section shall be preferred within three months from the date on which the proceeding, decision or order to which the application relates was communicated to the applicant:

Provided further that no order prejudicial to any person shall be passed unless such person has been given an opportunity of making his representation.

(4) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred on or assigned to him by or under this Act.

**9. Visitation.-** (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons, as he may direct-

(a) of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments; or

(b) of any institute, institution or hostel maintained by the University; or

(c) of the teaching and other work conducted or done by the University; or

(d) of the conduct of any examination held by the University.

(2) The Chancellor shall also have the right to cause an inquiry to be made by such person or persons as he may direct in respect of any matter connected with the University.

(3) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented at such inspection or inquiry.

(4) The Chancellor shall communicate to the University his views with reference to the result of such inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of the University thereon, advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

(5) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

(6) If the University does not take action within the time limit fixed, or if the action taken by the University is, in the opinion of the Chancellor, not satisfactory, the Chancellor may, after considering any explanation offered or representation made by the University, issue such direction as he may deem fit and the University shall comply with such direction.

(7) If the University does not comply with such direction issued as per sub-section (6) within such time as may be fixed in that behalf by the Chancellor, the Chancellor shall at his discretion have power to appoint any person or body to implement such direction and make such order as may be necessary for the expenses thereof.

**10. Officers and Authorities of the University.-** The following shall be the officers and authorities of the University, namely:-

**(a) Officers of the University-**

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) the Pro-Vice-Chancellor;

(iii) the Registrar;

(iv) the Comptroller;

(v) the Estate Officer;

(vi) the Dean of Student Welfare;

(vii) the Deans of Faculties; and

(viii) such other persons in the service of the University as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

**(b) Authorities of the University-**

(i) the Advisory Council;

(ii) the Board of Management;

(iii) the Academic Council;

(iv) the Faculties;

- (v) the Board of Studies;
- (vi) the Finance Committee; and
- (vii) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

**11. Vice-Chancellor.-** (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University.

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is, distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic, administrative organization and, of a highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment.

(3) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government from amongst the persons included in the panel recommended by the Search Committee consisting of-

- (a) one person nominated by the Board;
- (b) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission;
- (c) one person nominated by the Chancellor; and
- (d) one person nominated by the State Government,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(4) An eminent person in the sphere of higher education not connected with the University and its colleges shall only be eligible to be nominated as the member of the Search Committee.

(5) The Search Committee shall prepare and recommend a panel of not less than three persons and not more than five persons to be appointed as Vice-Chancellor.

(6) For the purpose of selection of the Vice-Chancellor, the Search Committee shall invite applications from eligible persons through a public notice and while considering the names of persons to be appointed as Vice-Chancellor, the Search Committee shall give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and adequate experience in academic and administrative governance and record its findings in writing and enclose the same with the panel to be submitted to the Chancellor.

(7) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(8) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(9) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (3), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (10).

(10) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (9), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the functions of the office of the Vice-Chancellor by any other Vice-Chancellor of a State University.

(11) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(12) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(13) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he may continue to contribute to the provident fund of which he was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(14) Where the Vice-Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(15) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(16) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.

(17) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, the first Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor after consultation with the State Government for a period not exceeding three years on such terms and conditions as the Chancellor may determine.

(18) The Vice-Chancellor shall be the principal academic, administrative and executive officer of the University and shall exercise overall supervision and control over the affairs of the University. He shall have all such powers as may be necessary for true observance of the provisions of this Act and Statutes.

(19) The Vice-Chancellor shall, where immediate action is called for, have power to make an order so as to exercise any power or perform any function which is exercised or performed by any Authority under this Act or the Statutes:

Provided that such action shall be reported to the Authority as would have in the ordinary course dealt with the matter for approval:

Provided further that if the action so reported is not approved by such Authority not being the Board, the matter shall be referred to the Board, whose decision shall be final and in case of the Authority being the Board, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

(20) The Vice-Chancellor may, on being satisfied that any action taken or order made by any Authority is not in the interest of the University or beyond the powers of such Authority, require the Authority to review its action or order. In case the Authority refuses or fails to review its action or order within sixty days of the date on which the Vice-Chancellor has so required, the matter may be referred to the Board or to the Chancellor, as the case may be, for final decision.

**12. Removal of Vice-Chancellor.-** (1) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor:

Provided that the Chancellor may, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry:

Provided further that no order shall be made by the Chancellor unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

(2) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1) the Chancellor may order that till further order-

- (a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled;
- (b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

**13. Powers and duties of the Vice-Chancellor.-** (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the convocations of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be *ex-officio* Chairman of the Board and Academic Council.

(3) The Vice-Chancellor shall be responsible for presenting to the Board for its deliberations and consideration, matters of concern to the University. He shall have power to convene the meetings of the Board and the Academic Council and such other authorities and bodies as may be prescribed.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of discipline in the University.

(5) The Vice-Chancellor shall ensure the faithful observance of the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations and shall possess all such powers as may be necessary for the purpose.

(6) In an emergency, which in the opinion of the Vice-Chancellor requires immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity report the action taken to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter.

(7) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (6) affects any person in the service of the University to his disadvantage, such person may prefer an appeal to the Board within thirty days of the date on which the action is communicated to him.

(8) Subject as aforesaid, the Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Board regarding the appointment, suspension and dismissal of officers, teachers and other employees of the University.

(9) The Vice-Chancellor shall be responsible for close coordination and integration of teaching, research and other work and shall exercise such other powers as may be prescribed.

**14. Pro-Vice-Chancellor.-** The Pro-Vice-Chancellor of the University shall be appointed in such manner, for such period, on such terms and conditions and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

**15. Registrar.-** (1) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the University. He shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Registrar shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers of the Rajasthan Administrative Service (not below selection scale).

(3) The Registrar shall be the *ex-officio* Member-Secretary to the Board, the Academic Council and any other authority declared by the Statutes to be the Authority of the University.

(4) It shall be the duty of the Registrar-

- (a) to be the custodian of the records, the Common Seal and such other properties of the University as the Board shall commit to his charge; and
- (b) to issue all notices convening meetings of the Board, the Academic Council, the Faculties, the Board of Studies, and of any committee appointed by the authorities of the University.

(5) (i) Where any proceedings or resolution of the Board or order of the Vice-Chancellor is inconsistent with the provisions of this Act and the Statutes made thereunder, it shall be the duty of the Registrar to tender advice to the Board or the Vice-Chancellor mentioning the relevant provisions and record in the proceedings to the meeting of the Board or on the order of the Vice-Chancellor the fact that he had tendered such advice and thereupon put up a note of dissent on such proceedings, resolution, the order or as the case may be, and ensure the communication of the matter to the Chancellor or any officer authorized by him in this behalf within seven days of passing such resolution or order, or as the case may be, undertaking such proceedings.

(ii) After examining the note of dissent reported under sub-clause (i), the Chancellor or the officer authorized in this behalf by him, may make such interim or final order as he thinks fit, which shall be binding on the University:

Provided that if no such interim or final order is passed within a period of thirty days from the date of receipt of the dissent note, the Board or, as the case may be, Vice-Chancellor may proceed with the proceedings or the resolution or, as the case may be, the order as if the dissent note was not put up.

(6) The Registrar shall be responsible to ensure the compliance of the provisions of section 43.

(7) The Registrar shall exercise such powers and perform such other functions and discharge such other duties as may be prescribed or required of him from time to time by the Vice-Chancellor or by the Board.

**16. Comptroller.-** (1) The Comptroller shall be the principal finance, accounts and audit officer of the University. He shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Comptroller shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers of the Rajasthan Accounts Service (not below selection scale).

(3) The Comptroller shall be the *ex-officio* Member-Secretary to the Finance Committee.

(4) The Comptroller shall-

- (a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise the University as regards its financial policy;
- (b) to manage the property and investments of the University including trust and endowed property in accordance with the decision of the Finance Committee and the Board; and
- (c) exercise such other powers and perform such other financial functions, as may be assigned to him by the Board, or as may be prescribed:

Provided that the Comptroller shall not incur any expenditure or make any investment exceeding such amount as may be prescribed except with the prior approval of the Board.

(5) Subject to the control of the Board, the Comptroller shall-

- (a) ensure that the limits fixed by the Board for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended for the purposes for which they are granted or allotted;
- (b) be responsible for the preparation of annual accounts, financial estimates and the budget of the University and for their presentation to the Finance Committee and the Board;
- (c) keep a constant watch on the cash and bank balances and of investments;
- (d) watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed;

- (e) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipments are maintained up-to-date, and that stock checking is conducted in respect of equipments and other consumable materials in all offices, laboratories, colleges and institutions maintained by the University;
- (f) ensure that no expenditure not authorized in the budget is incurred by the University otherwise than by way of investment and to bring to the notice of the Vice-Chancellor and the Registrar any unauthorized expenditure or other financial irregularity and suggest appropriate action to be taken against persons at fault;
- (g) disallow any expenditure which may contravene the terms of any statute or for which provision is required to be made by a statute but has not been made;
- (h) call from any office, laboratory, college or institution maintained by the University, any information or returns as he may consider necessary for the exercise of his powers, performance of his functions or discharge of his duties; and
- (i) ensure the compliance of the provisions of sections 35, 36 and 37.

**17. Estate Officer and Dean of Student Welfare.-** (1) The Board may appoint any one or more of the following officers, namely:-

- (a) the Estate Officer; and
- (b) the Dean of Student Welfare.

(2) The Estate Officer shall be in charge of all the buildings, lawns, gardens and other immovable property of the University.

(3) The Dean of Student Welfare shall have the following duties:-

- (a) to make arrangements of the housing of students;
- (b) to direct a programme of students counseling;
- (c) to arrange for employment of students in accordance with plans approved by the Vice-Chancellor;
- (d) to supervise the extra-curricular activities of the students;
- (e) to assist in the placement of the graduates of the University; and
- (f) to organize and maintain contact with the alumni of the University.

**18. Deans of faculties and their functions.-** (1) There shall be a Dean of each faculty.

(2) The Deans of faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor in a manner as may be prescribed.

(3) The Deans shall perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

**19. Other officers and employees.-** The mode of appointment and the functions of other officers mentioned in clause (a) of section 10 and of the employees of the University shall be as provided in this Act or as prescribed by Statutes, Ordinances and Regulations.

**20. Remuneration of officers and employees.-** No officer or employee of the University shall be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save as may be provided for in the Statutes.

**21. Constitution and composition of the Advisory Council.-** (1) There shall be an Advisory Council of the University which shall consist of the following members, namely:-

- (i) a person of national eminence in the field of welfare of specially abled persons, to be appointed by the Chancellor, who shall be the Chairperson of the Advisory Council;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) Secretary in charge of Social Justice and Empowerment Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the

- Government;
- (iv) Secretary in charge of Higher and Technical Education Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;
  - (v) Secretary in charge of Medical and Health Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;
  - (vi) Secretary in charge of Ayurveda Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;
  - (vii) the Vice-Chancellor, Jai Narain Vyas University Jodhpur;
  - (viii) the Vice-Chancellor, Vardhman Mahaveer Open University, Kota;
  - (ix) the Chief of Administration, Indian Institute of Management, Udaipur;
  - (x) Director, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Jodhpur,
  - (xi) Commissioner/Director, Specially Aabled Persons, Social Justice and Empowerment Department, Rajasthan, Jaipur;
  - (xii) the Director of the National Institute for Persons with Physical Disabilities, Government of India or his nominee;
  - (xiii) the Director of the National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities, Government of India or his nominee;
  - (xiv) the Director of the National Institute for Speech and Hearing Disabilities, Government of India or his nominee;
  - (xv) the Director of the National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, Government of India or his nominee;
  - (xvi) the Chairperson, Rehabilitation Council of India or his nominee;
  - (xvii) five academicians in the field of Higher Education, to be nominated by the State Government for a period of three years;
  - (xviii) five eminent persons belonging to the field of Medical or Rehabilitation, to be nominated by the State Government for a period of three years; and
  - (xix) the Registrar of the University, Member-Secretary.

**Explanation.-** For the purpose of clauses (iii), (iv), (v) and (vi), "Secretary in charge" means the Secretary in charge of the Department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in charge of a department.

(2) One-third members present at a meeting of the Advisory Council shall constitute the quorum for meeting.

(3) The Chairperson of the Advisory Council shall perform such functions and exercise such powers as are provided in this Act or as may be prescribed.

(4) The members shall serve without any additional pay but shall be entitled to daily allowance and travelling expenses as may be prescribed.

(5) The minutes of meeting of the Advisory Council shall be recorded and maintained by the Member-Secretary of the Advisory Council.

**22. Duties and functions of the Advisory Council.-** The duties and functions of the Advisory Council shall be as follows:-

(a) to review from time to time, the broad policies and programmes of the University and to suggest measures for the improvement and development of the University in regard to the attainment of the objects;

(b) to advise the Vice-Chancellor in respect of any matter that may guide the University in respect of its objects; and

(c) such other duties or functions as may be prescribed by the Statutes.

**23. Constitution and composition of the Board of Management.-** (1) The Board shall be the highest executive body of the University and shall consist of the following members, namely:-

(I) **the Vice-Chancellor** of the University- Chairman;

(II) **Ex-officio Members-**

- (i) the Secretary in charge of Finance Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;
- (ii) the Secretary in charge of Social Justice and Empowerment Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;
- (iii) the Secretary in charge of Higher and Technical Education Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;
- (iv) the Secretary in charge of Labour and Skill Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;
- (v) the Secretary in charge of Medical and Health Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;
- (vi) the Secretary in charge of School Education Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;
- (vii) the Secretary in charge of Ayurveda Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;
- (viii) the Commissioner/Director, Specially abled persons, Social Justice and Empowerment, Government of Rajasthan;
- (ix) the Director, Indian Institute of Technology, Jodhpur;
- (x) the Commissioner/Director, of College Education, Government of Rajasthan;
- (xi) the Vice-Chancellor, Jai Narain Vyas University, Jodhpur;
- (xii) the Pro-Vice-Chancellor; and
- (xiii) the Registrar of the University, Member-Secretary;

**Explanation.-** For the purpose of clauses (i) to (vii) "Secretary in charge" means the Secretary in charge of the Department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in charge of a department;

(III) **Nominated Members-**

- (i) two persons nominated by the Vice-Chancellor from amongst the Deans/Head of the Departments for one year;
- (ii) two University Professors nominated by the Chancellor for one year;
- (iii) two eminent educationists to be nominated by the Chancellor for three years;
- (iv) two members of State Legislature to be nominated by the State Government for three years; and
- (v) two eminent educationists to be nominated by the State Government for three years.

(2) One-third members present at a meeting of the Board shall constitute the quorum for meeting.

(3) The Chairman of the Board shall perform such functions and exercise such powers as are provided in this Act or as may be prescribed.

(4) The members shall serve without any additional pay but shall be entitled to daily allowance and travelling expenses as may be prescribed.

(5) The minutes of meeting of the Board shall be recorded and maintained by the Member-Secretary of the Board.



**24. Duties and functions of the Board.-** The duties and functions of the Board shall be as follows:-

- (a) to approve and sanction the budget of the University;
- (b) to acquire, to dispose of, to hold and to control the property and funds of the University and issue any general or special direction on behalf of the University;
- (c) to accept the transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;
- (d) to administer any funds placed at the disposal of the University for the specific purposes;
- (e) to invest money belonging to the University;
- (f) to appoint the members of the academic, administrative and other staff of the University in such manner as may be prescribed;
- (g) to direct the form and use of the Common Seal of the University;
- (h) to appoint such committees, either standing or temporary, as it deems necessary for its proper functioning;
- (i) to borrow money for capital improvements and make suitable arrangements for its repayment;
- (j) to meet at such times and as often as it deems necessary, provided however, that the regular meeting of the Board shall be held at least once in every three months;
- (k) to make Statutes, Ordinances and Regulations in the manner prescribed in this Act for smooth functioning of the University; and
- (l) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act and the Statutes and to exercise such powers and to discharge such duties as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.

**25. Academic Council.-** (1) There shall be an Academic Council of the University, consisting of the following as members, namely:-

- (a) the Vice-Chancellor –*Ex-officio* Chairman;
- (b) the Pro-Vice-Chancellor;
- (c) Deans of Faculties;
- (d) one Professor from each faculty to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (e) the Secretary in charge of Social Justice and Empowerment Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of Rajasthan;
- (f) the Secretary in charge of Higher and Technical Education Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of Rajasthan;
- (g) Chairmen, Boards of Studies;
- (h) two persons having special attainment in the field of rehabilitation studies not being employees of the University, one to be nominated by the Chancellor and the other by the State Government; and
- (i) the Registrar of the University, Member-Secretary.

**Explanation.-** For the purpose of clauses (e) and (f), "Secretary in charge" means the Secretary in charge of the Department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in charge of a department.

(2) The term of office of nominated members shall be two years.

**26. Functions of the Academic Council.-** (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances and Regulations, the Academic Council shall have the control and general regulation of the academic affairs and be responsible for the maintenance of standards of instructions and examinations in the University and for the requirements for the award of degrees and diplomas. The Academic Council shall-

- (i) exercise control over the academic policies of the University and be responsible for the maintenance and improvement of standards of instruction, education and evaluation in the University;
- (ii) consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference from the faculty of the University or the Board and to take appropriate action thereon; and
- (iii) recommend to the Board, such Regulations as are consistent with this Act regarding the academic functioning of the University including discipline of students.

(2) The Academic Council shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes and shall advise the Vice-Chancellor on all academic matters.

**27. Composition and functions of the faculties.-** (1) There shall be such faculties in the University as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each faculty shall consist of the following:-

- (a) Dean of the Faculty - Chairman;
- (b) University professors of the subjects assigned to the Faculty;
- (c) Chairmen of the Boards of Studies in the Faculty; and
- (d) two external experts nominated by the Academic Council.

(3) The Faculty shall perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

**28. Board of Studies.-** (1) There shall be such number of Boards of Studies as may be determined by the Statutes.

(2) A Board of Studies shall be constituted in the manner, consist of such members, exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

**29. Finance Committee.-** (1) The Finance Committee shall consist of the following members, namely:-

- (a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman of the Committee;
- (b) the Secretary in charge of Finance Department, or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;
- (c) the Secretary in charge of Social Justice and Empowerment Department, or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;
- (d) the Secretary in charge of Medical and Health Department, or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary to the Government;
- (e) the Pro-Vice-Chancellor;
- (f) one member of the Board, to be nominated by the Board from amongst its non-official members;
- (g) two professors, by rotation, to be nominated by the Board; and
- (h) the Comptroller, who shall be the Member-Secretary of the Committee.

**Explanation.-** For the purpose of clauses (b), (c) and (d), "Secretary in charge" means the Secretary in charge of the Department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in charge of a department.

(2) The term of office of the members nominated under clauses (f) and (g) shall be two years.

**30. Functions of Finance Committee.-** Subject to the other provisions of this Act, the Finance Committee shall broadly perform the following functions, namely:-

- (i) to examine the annual accounts and annual budget estimates of the University and to advise the Board thereon;
- (ii) to review from time to time the financial position of the University;
- (iii) to make recommendations to the Board on all financial policy matters of the University;

- (iv) to make recommendations to the Board on all proposals involving raising of funds, receipts and expenditure;
- (v) to provide guidelines for investment of surplus funds;
- (vi) to make recommendations to the Board on all proposals involving expenditure for which no provision has been made in the budget or for which expenditure in excess of the amount provided in the budget needs to be incurred;
- (vii) to examine all proposals relating to the revision of pay-scales, upgradation of the scales and those items which are not included in the budget prior to placing before the Board; and
- (viii) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed upon it by the Regulations.

**31. Teaching of the University.-** (1) All teaching recognized by the University shall be conducted in the University departments or its institutes and institutions.

(2) The authorities responsible for organizing such teaching shall be such as may be prescribed.

(3) The courses of study and curricula shall be such as may be prescribed by Ordinances and, subject thereto, by the Regulations.

**32. Teachers and Officers of the University.-** (1) The appointment of teachers and officers of the University shall be made in accordance with provisions of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974).

(2) Except in cases provided for by the Statutes, teachers and officers of the University shall be appointed under a written contract. The contract shall be lodged with the Vice-Chancellor and a copy thereof shall be furnished to the teacher or officer concerned. The contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act and the Statutes for the time being in force in relation to the conditions of service.

**33. Age of retirement.-** Subject to any provision in the Statutes to the contrary or any directions or policy of the State Government in this regard, all the employees of the University shall ordinarily retire from service upon attaining the age of sixty years.

**34. Pension or provident fund.-** (1) For the benefit of its officers, teachers, clerical staff and other employees, the University shall constitute, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, such pension, gratuity, insurance and provident fund as it may deem fit.

(2) The provisions of the Provident Funds Act, 1925 (Central Act No. 19 of 1925), shall apply to a fund or an insurance scheme as if it were a State Government fund or scheme and the University shall contribute to or invest in such fund or scheme.

(3) Provision shall be made in the Statutes to ensure that staff members transferred from employment in the service of the State shall have their accrued service benefits protected upon such transfer.

**35. University fund.-** (1) The University shall establish, maintain and administer a fund to be called the University fund.

(2) The following moneys shall form part of, and be paid into, the University fund, namely:-

- (a) any contribution or grant by the State Government;
- (b) income arising to the University from all sources including income from fees and charges;
- (c) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any; and
- (d) such other money as may be prescribed by the Statutes.

(3) The matters to which the fund may be applied and appropriated shall be those prescribed by this Act or the Statutes.

(4) All expenses incurred under and in pursuance of any provision contained in this Act shall be met out of the University fund.

(5) The University shall have power to borrow, on the security of the University properties and with the concurrence of the State Government, money for the purposes of the University.

**36. Accounts and audit.-** (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(2) The Comptroller shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the annual financial estimates for the ensuing year.

(3) The annual accounts and the annual financial estimates prepared by the Comptroller shall be placed before the Board together with the remarks of the Finance Committee for approval and the Board may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the Comptroller who shall take action in accordance therewith.

(4) The annual accounts shall be audited in the prescribed manner by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University fund.

(5) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.

(6) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the State Government on the audit report.

**37. Control of the State Government.-** Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include prior permission of the State Government in respect of the following, namely:-

- (a) creation of the new posts of teachers, officers or other employees;
- (b) revision of the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits to its teachers, officers and other employees;
- (c) grant of any additional/special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including *ex-gratia* payment or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;
- (d) diversion of any earmarked funds other than the purpose for which it was received;
- (e) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;
- (f) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than for which the funds are received; and
- (g) take any decision resulting in increased financial liability, direct or indirect, for the State Government.

**Explanation.-** The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may, in the long term, be likely to cause financial implications to the State Government.

**38. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.-** (1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.

(2) If the State Government is satisfied that owing to mal-administration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.

**39. Supplementary provisions relating to membership.-** (1) All casual vacancies among the members (other than *ex-officio* members) of any authority or body of the University shall be filled as soon as possible by appointment or nomination according as the member whose place became vacant was appointed or nominated and the person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residuary period of the term for which the person whose place he fills would have continued but for the vacancy.

(2) A person who holds any office in the University by virtue of his holding any other office of the University or otherwise shall hold such office as long as he holds the other office and thereafter till his successor is duly nominated or appointed, as the case may be.

(3) The Board may remove any person not being an officer of the University from membership of any authority or body or any employee of the University on the grounds that such person or employee has been convicted of an offence involving moral turpitude or for taking part in subversive activities or for indulging in any act or acts unbecoming of the prestige of the University:

Provided that no such person or employee shall be removed under this sub-section unless he has been afforded a reasonable opportunity of showing cause why he should not be so removed and such cause has been considered by the Board:

Provided further that prior approval of the State Government will be necessary for taking such action against a member of any authority or body of the University, nominated by the State Government.

(4) If any question arises regarding any person who has been appointed or nominated, as or is entitled to be, a member of any authority of the University subordinate to the Board or regarding any decision of the Board under this Act and the Statutes, the matter shall be referred to the Chancellor for his decision, and the decision of the Chancellor shall be final.

**40. Proceedings of the University authorities and bodies not to be invalidated by reason of any vacancy.-** No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalidated by reason of the existence of a vacancy among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so.

**41. Reference to Government officers to be construed in case of change of designation as reference to corresponding offices.-** Where any provision of this Act or of the Statutes, Ordinances or Regulations refer to an officer of the State Government by designation, then if that designation is altered or that office ceases to exist, the reference shall be construed as a reference to the altered designation, or as the case may be, to such corresponding officer as the State Government directs.

**42. Power to obtain information.-** Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the State Government may, by order in writing, call for any information from the University on any matter relating to the affairs of the University and, the University shall, if such information is available with it, furnish the State Government with such information within a reasonable period.

**43. Annual Report.-** The Annual Report of the University shall be prepared under the direction of the Vice-Chancellor and circulated among the members of the Board one month before the annual meeting of the Board at which it is to be considered. The Annual Report, as

approved by the Board, shall be sent to the State Government for being laid on the table of the House of the State Legislature.

**44. Statutes.-** Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter and shall, in particular, provide for the following:-

- (a) the constitution, powers and duties of the authorities of the University;
- (b) the appointment or nomination and continuance in office of the members of the authorities of the University and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary or desirable to provide;
- (c) the designation, manner of appointment, powers, duties and service conditions of the officers of the University;
- (d) the classification and manner of appointment of teachers and their service conditions and qualifications;
- (e) the constitution of pension, gratuity, insurance and provident funds for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;
- (f) the conferment of honorary degrees;
- (g) the establishment, amalgamation, sub-division and abolition of departments;
- (h) the establishment and abolition of hostels maintained by the University;
- (i) the moneys to form part of and to be paid into the University fund and the matters to which the fund may be applied and appropriated;
- (j) the number and emoluments of teachers of the University and the preparation and maintenance of a record of their services and activities;
- (k) the remuneration and allowances including travelling and daily allowances to be paid to persons employed in the business of the University; and
- (l) all other matters which by this Act are required to be or may be provided for or prescribed otherwise than by the Ordinances and Regulations.

**45. Statutes how made.-** (1) The Statutes may be made, amended or repealed by the Board in the manner hereinafter provided.

(2) The Board may take into consideration the draft of a Statute either at its own motion or on a proposal by any authority of the University.

(3) The Board, if it thinks necessary, may also obtain the opinion of any officer, authority or body of the University in regard to any draft Statute, which is before it for consideration.

(4) Every Statute passed by the Board shall be submitted to the Chancellor who may give or withhold his assent thereto or send it back to the Board for reconsideration.

(5) No Statute passed by the Board shall be valid or shall come into force until assented to by the Chancellor.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-section, the Chancellor may, either *suo motu* or on the advice of the State Government, direct the University to make provisions in the Statutes in respect of any matter specified by him and if the Board fails to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Board for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes suitably.

**46. Ordinances.-** Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the courses of study, admission or enrolment of students, fee, qualifications or conditions requisite for any degree, diploma, certificate or fellowship;
- (b) the conduct of examinations including the appointment of examiners and their terms and conditions;

- (c) the conditions for residing in any hostel or other place of residence run or maintained by the University, the levying of charges therefor and other related matters;
- (d) the recognition and supervision of hostels not run or maintained by the University; and
- (e) any other matter required by this Act or the Statutes to be dealt by or under the Ordinances of the University.

**47. Ordinances how made.-** (1) The Board may make amend or repeal Ordinances in the manner hereinafter provided.

(2) No Ordinances concerning the academic matter shall be made by the Board unless a draft thereof has been proposed by the Academic Council.

(3) The Board shall not have the power to amend any draft proposed by the Academic Council under sub-section (2), but may reject or return it to the Academic Council for reconsideration, in part or in whole, together with any amendments which the Board may suggest.

(4) All Ordinances made by the Board shall have effect from such date as it may direct, but every Ordinance so made shall be submitted to the Chancellor within two weeks. The Chancellor shall have the power to direct the Board, within four weeks of the receipt of the Ordinance, to suspend its operation, and he shall, as soon as possible, inform the Board of his objection to it. He may, after receiving the comments of the Board, either withdraw the order suspending the Ordinance or disallow the Ordinance, and his decision shall be final.

**48. Regulations.-** (1) Every authority of the University may make Regulations consistent with this Act and the Statutes and Ordinances-

- (a) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;
- (b) providing for all matters which by this Act and the Statutes or Ordinances are to be provided for by that authority by the Regulations; and
- (c) providing for any other matter solely concerning such authority and not provided for by this Act and the Statutes or Ordinances.

(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be transacted thereat and for the keeping of a record of the proceeding of meetings.

(3) The Board may direct the amendment, in such manner as it may specify, of any Regulations made under this section or the annulment thereof by any authority of the University.

**49. Delegation of powers.-** The Board may, by Statute, delegate to any officer or authority any of the powers conferred upon it by this Act, to be exercised subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.

**50. Temporary arrangements.-** (1) At any time after the commencement of this Act and until such time as the authorities of the University are duly constituted, any officer of the University may be appointed by the Vice-Chancellor, with the prior approval of the Chancellor, to carry on the duties of any such authority.

(2) The Vice-Chancellor may make temporary appointments subject to the approval of the Board at its next meeting, following the making of such appointment.

**51. Residuary provision.-** The Board shall have the authority to deal with any matter pertaining to the University and not specifically dealt with in this Act. The decision of the Board on all such matters shall, subject to revision by the Chancellor, be final and shall not be liable to be challenged in any Court or Tribunal.

**52. Removal of difficulties.-** (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulties, in the area and in matters covered by this Act, by order published in the Official Gazette,-

- (a) direct that this Act shall during such period as may be specified in the order take effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission consistent with this Act, as it may deem fit to be necessary or expedient; or
- (b) give such directions as appear to it to be necessary for the removal of such difficulties that may arise in giving effect to the provisions of this Act; or
- (c) make such other temporary provisions for the purpose of removing any such difficulties as it may deem fit to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after twelve months from the date of the commencement of this Act.

(2) All orders made under sub-section (1) shall be laid before the House of the State Legislature for fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such orders or resolves that any such order should not be made, such order shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) If any question arises regarding the interpretation of any provisions of this Act or any Statutes or Ordinances or Regulations made under this Act, or as to whether any person has been duly appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter may be referred to the Chancellor and shall be so referred if the Vice-Chancellor and any ten members of the Board so require. The Chancellor shall, after taking such advice from the State Government as he deems necessary, decide the question and his decision shall be final.

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,  
**Principal Secretary to the Government.**

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।